जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651313 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) 2651312 (नि) फेक्स नं. 2740121

क्रमांक :– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु. पीपीएम/प.आवासमान्य शाखा/प्रे०सं० 425 जोधपुर, दिनांक :– 13.6.2003

परिपत्र

विषय :– वर्ष 2003–2004 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संम्बन्ध में।

वर्ष 2003–2004 में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के संम्बन्ध मे विद्युत निगमों की समन्वय समिति की 58 वीं बैठक दिनांक 2.6.2003 मे निर्णय लिया गया है कि :–
वर्ष 2003–2004 में राज्य की तीनो वितरण कम्पनियो में कुल लक्ष्य 15000 (पॉच हजार प्रत्येक निगम) कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य निर्धारित किये है।
इस वर्ष 2003–2004 मे सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों की वर्ष 2002–2003 में जारी कृषि नीति के अनुसार सामान्य श्रेणी की पंचायत समितिवार कट ऑफ डेट ही यथावत वर्ष 2003–2004 में रहेगी।

(1) सामान्य श्रेणी के वर्ष 2002–2003 की कट ऑफ डेट में आने वाले आवेदकों के डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जावें।
(2) सामान्य श्रेणी के वर्ष 2002–2003 के कट ऑफ डेट में आने वाले ऐसे आवेदक/राज्य के सामान्य श्रेणी अनुसुचित जाति व जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के जिनके 11 केवी लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मॉग पत्र जारी नहीं किये गये तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदको को मॉग पत्र जारी किये है ऐसे छूटे गये आवेदको को राज्य में अकाल की स्थिति के मद्देनजर 8 प्रतिशत वी.आर.की सीमा अवधि में जो छूट प्रदान की हुई है वह इस वर्ष भी जारी रहेगी।
(3) स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत आवेदक प्राप्त नही किये जायेगे किन्तु इस योजना के पूर्व आवेदको को कनेक्शन देने के संम्बन्ध में परिपत्र क्रमाक 2136 दिनांक 18.2.2003 (आर.ई.ओ–46) में निहित प्रावधान के अनुसार जिनके मॉग पत्र जारी कर दियेहै तथा मॉग पत्र के अनुसार राशि जमा करने पर मई 2003 तक कनेक्शन दिये जाने है।
स्पेशल श्रेणी के बाकी समस्त तकनीकी रुप से साध्य आवेदकों को तुरन्त मॉग पत्र जारी करने है तथा मॉग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदको को 30 जून 2003 तक कनेक्शन जारी कर दिये जाये।
स्पेशल स्कीम बन्द होने के कारण वर्तमान में चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को कम्पाउण्डिग राशि जमा कराने के पश्चात फार्म हाउस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी किये जाने है इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में फार्म हाउस श्रेणी में कृषि कनेक्शन पूर्ववत जारी करने है।
(4) स्पेशल/1.4.2000 से नर्सरी स्कीम के जारी किये गये कनेक्शनों को एंव भविष्य में जारी होने वाले समस्त कनेक्शनो को सामान्य श्रेणी की उसी गॉव के नीचे वरीयता वाले आवेदको को कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिग कर दिया जावे। तब तक इस स्कीम में जारी किये गये कनेक्शनों का वर्तमान में प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग किया जावें।
(5) जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मॉग पत्र की राशि जमा कराके एल .फार्म (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये है उनको माह का आधार मानते हुये प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन जारी किये जावे।
(6) सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने प्रार्थना पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इस वर्ष में जो नये आवेदन प्राप्त होते है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष मे लाईन की पूरी कीमत एंव ट्रॉसफार्मेशन चार्जेज रुपये 1450/–प्रति हार्स पॉवर की दर से मॉग पत्र जारी करने है। इन आवेदकों के मॉग पत्र जमा होने पर एंव पूर्व के आवेदक जिन्होने मॉग पत्र की राशि जमा करादी है उन सभी को इसी वर्ष मे कनेक्शन देने है।
(7) कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निम्न प्रकार से निगम द्वारा प्राथमिकताये दी जा रही है :–

1) राज्य के सभी अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र।	तुरन्त प्राथमिकता
2) राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सभीसामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र।	तुरन्त प्राथमिकता

लगातार.......

3) (अ) 1962,1965 व 1971 के युद्धों मे कारगिल द्रास व अन्य क्षेत्रों में इसके पश्चात अन्य सैन्य कार्यवाही ,अन्य किसी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के दौरान शहीद की विधवाया पुत्र–पुत्री के नाम भूमि नही हो तो उसके माता–पिता को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो–	तुरन्त प्राथमिकता
(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशों में (जैसे–पवन श्रीलंका इत्यादि) शहीद के वैधानिक उत्तराधिकारी (छगगज.ड्डपद) को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो–	तुरन्त प्राथमिकता
4) परमवीर चक्र/महावीर चक्र से अंलकृत सैनिको के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य (छगगज.ड्डपद) के बारे में प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक/अर्धसैनिक संस्था से प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन।	तुरन्त प्राथमिकता
5) कार्यरत सैनिको ,भूतपूर्व सैनिको अथवा उनकी विधवाओ (विधवा की मृत्यु होने पर या विधवा के नाम जमीन नही होने पर अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी) को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिये।	3 वर्ष की प्राथमिकता
6) राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिको को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में।	3 वर्ष की प्राथमिकता
7) शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग आवेदको को सामान्य श्रेणी की कट ऑफ डेट से।	3 वर्ष की प्राथमिकता
8) निगम कर्मचारियों को वरीयता क्रम में	6 माह की प्राथमिकता

(8) सभी श्रेणियों के लिये पोल चार्जेज ट्रॉन्सफोरमेशन चार्जेज तथा अन्य चार्जेज/शुल्क पूर्व मे जारी आदेशानुसार लिये जायेगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(आर.एस.चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

जयप्रकाश/आईओ.